प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
   प्र. इ. रि. सं. ....168/22........ दिनांक........6/5/22........
2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें 07
   (II) * अधिनियम .... धारायें ...
   (III) * अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....122......समय . 830P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन सोमवार दिनांक 05.05.2022 समय 11:18 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.05.2022 समय 06:50 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– एम.एन.आई.टी. जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– दक्षिण लगभग 2.5 किमी.

(ब) पता महिला थाना पूर्व
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री राहुल सिंघी
   (ब) पिता/पति का नाम श्री शशीकान्त सिंघी
   (स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....33 साल...
   (द) राष्ट्रीयता भारतीय...
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय – प्राईवेट, कॉलेज संचालन
   (ल) पता – निवासी आर–65, एन. आर. आई. कॉलोनी, प्रताप नगर, जयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   1. प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता उर्फ श्री आर.ए.गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता, जाति महाजन, उम्र 65 साल, निवासी–फ्लेट नम्बर सी–503, महिमा पनास, जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी कुलपति निवास आर.टी.यू. कैम्पस रावतभाटा रोड,कोटा हाल कुलपति राजस्थान तकनिकी विश्वविद्यालय, कोटा।
   2. अन्य
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)......
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य (5,00,000 व 20,90,000 रूपये)
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 04.05.2022 समय 06:50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि. के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार डीयर पार्क जयपुर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री राहुल सिंघी के मोबाइल नं. 9829000071 पर वार्ता की गई और राहुल सिंघी को अपने पास डियर पार्क के पास बुलाया। इसके बाद श्री राहुल से उसका पूरा नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम राहुल सिंघी पुत्र श्री शशीकान्त सिंघी उम्र 33 साल जाति जैन निवासी आर–65, एन. आर. आई. कॉलोनी, प्रताप नगर, जयपुर बताया तथा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "मैं वर्ष 2016 से पूर्णिमा ग्रुप ऑफ कालेजेज जयपुर में निदेशक के पद पर कार्यरत हूं। वर्ष 2007 से हमारे कालेजेज आर.टी.यू. कोटा से एफिलियेटेड है। वर्ष 2019 में श्री आर.ए.गुप्ता आर.टी.यू. कोटा के कुलपति नियुक्त हुये थे। दिनांक 24.04.2022 को श्री आर.ए. गुप्ता ने मुझे एम.एन.आई.टी. जयपुर के गेस्ट हाउस में बुलाया और कहा कि मेरा कुलपति का 03 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मुझे फिर से इसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनना है इसलिए तुम्हे मुझे 10 लाख रूपये रिश्वत के देने होगें, नहीं तो तुम्हारे कॉलेज नहीं चलने दूगां। मैं श्री आर.ए. गुप्ता को कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। मेरा श्री आर.ए. गुप्ता कुलपति आर.टी.यू. कोटा से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई पुराना देन लेन है। मैं श्री आर.ए. गुप्ता को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें" प्रार्थना का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। इसके बाद मजिद् दरियाफ्त पर बताया कि श्री आर.ए. गुप्ता ने मुझे धमकी दी है कि आप मुझे रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हारे कॉलेजेज को नहीं चलने दूंगा। मेरी श्री आर.ए.गुप्ता से कोई लेन देन व रंजिश नहीं है।मजिद दरियाफ्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला रिश्वत देन लेन का पाया गया। अतः रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से परिवादी श्री राहुल का आपस में परिचय करवाया। इसके पश्चात एक डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया खाली मेमोरी कार्ड लगाकर, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द किया गया। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को हिदायत की गई की परिवादी श्री राहुल जब भी संदिग्ध से वार्ता करने जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे, बाद सत्यापन की कार्यवाही के वापस मेरे समक्ष उपस्थित होवें। इसके बाद परिवादी श्री राहुल व श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 04.05.2022 को समय 10:10 पी.एम. पर परिवादी श्री राहुल व श्री राजेन्द्र सिंह कानि. वापस मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास ए.सी.बी. कार्यालय में आये, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. ने बताया कि समय करीब 08:18 पी.एम. पर संदिग्ध श्री आर.ए. गुप्ता के मोबाइल नं. 9116692286 से परिवादी के मोबाइल नं. 9829000071 पर वाटस अप कॉल आया, जिसको मेरे द्वारा परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करके रिकार्ड किया गया, उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री आर.ए. गुप्ता ने परिवादी को समय करीब 9.00–9.15 पी.एम. के आस पास मिलने के लिए एम.एन.आई.टी. गेस्ट हाउस, जयपुर में मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद मैं परिवादी के साथ उसकी गाडी से एम.एन.टी. जयपुर में गया, जहां परिवादी को समय करीब 09:10 पी.एम. के आसपास परिवादी को रिकार्डर ऑन करके एम.एन.आई.टी. जयपुर के गेस्ट हाउस के लिए रवाना किया, मैं गेस्ट हाउस के बाहर गार्डन में इन्तजार करने लगा। इसके बाद करीब 40 मिनिट बाद परिवादी बाहर आया, जिसने रिकार्डर मुझे दिया जिसको मेरे द्वारा बन्द किया गया। इसके बाद मैं परिवादी को साथ लेकर कार्यालय में हाजिर आया हूं। इसके बाद परिवादी श्री राहुल ने श्री राजेन्द्र सिंह कानि. के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि मैं रिकार्डर लेकर एम.एन.आई.टी. जयपुर के गेस्ट हाउस इन्द्रधनुष के अन्दर कमरा नम्बर 208 में गया जहां पर श्री आर.ए. गुप्ता मौजूद मिले,जिन्होने मुझ से रिश्वत की वार्ता की, जिन्होने मुझे से 10 लाख रूपये रिश्वत के मांगे, तो मैंने दो किस्तों में देने की कहने पर पांच लाख रूपये कल तथा शेष पांच लाख 20–25 मई के बीच में देना तय किया।इसके बाद श्री आर.ए. गुप्ता ने मुझे कल पांच लाख रूपये लेकर बुलाया है। इसके बाद रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया, परिवादी व श्री राजेन्द्र सिंह कानि. के कथनों की ताईद होती है। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता आईन्दा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थित में वार्ता रूपातंरण तैयार किया जावेगा। इसके अलावा परिवादी ने उक्त कार्यवाही का विडियो भी अपने मोबाइल से बनाना बताया है वो भी पेश किया, जिसको चैक किया तो रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। चूकिं कार्यवाही में रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका था, संदिग्ध द्वारा

दिनांक 05.05.2022 को ही परिवादी को 05 लाख रूपये रिश्वत के लेकर बुलाया। दिनांक 05.05.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया और परिवादी को रिश्वत राशि 05 लाख रूपये लेकर आने को कहा गया एवं परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 05.05.2022 को समय 07.30 ए.एम. पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री ताराचन्द पुत्र श्री ग्यारसीलाल हरिजन जाति हरिजन उम्र 41 पैशा नौकरी निवासी मकान न. 27409, बाबू का टीबा हरिजन बस्ती रामगंज पुलिस थाना रामगंज जयपुर हाल जमादार (चतुर्थ श्रेणी) कार्यालय उपायुक्त मानवीय नगर जोन, विधानसभा के पास, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर तथा श्री जयशंकर पारीक पुत्र श्री रामराज जाति पारीक उम्र 47 साल निवासी बी–212, जे.पी. कॉलोनी, सैक्टर नम्बर 04, विद्याधर नगर, जयपुर हाल वाहन चालक, ए.ई.एन. जी–4, करधनी, कालवाड रोड, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये तथा परिवादी श्री राहुल सिंघी भी उपस्थित कार्यालय आया जिस पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी का प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया, दोनों गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। इसके पश्चात दिनांक 05.05.2022 को समय 10.00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी राहुल सिंघी पुत्र श्री शशीकान्त सिंघी उम्र 33 साल जाति जैन निवासी आर–65, एन.आर.आई. कॉलोनी, प्रताप नगर, जयपुर को संदिग्ध श्री आर.ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री राहुल सिंघी ने अपने पास से दो दो हजार रूपये के 150 नम्बरी नोट राशि 03 लाख तथा पांच पांच सौ के 400 नोट राशि 02 लाख कुल 05,00,000 रूपये निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द में पृथक से अंकित किये गये। उसके बाद कार्यालय में मौजूद श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउड़र की शीशी निकलवायी गयी तथा एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त दो दो हजार रूपये के कुल 150 नम्बरी नोट तथा पांच पांच सौ के 400 नोट कुल राशि 05 लाख रूपयों को रखकर उक्त नोटों पर श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री राहुल सिंघी की जामा तलाशी गवाह श्री जयशंकर पारीक से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास उसके मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि 05 लाख रूपयों को श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से एक सफेद कागज में लिपटवाकर उस पर टेप लगाकर पैकिट तैयार करवाया गया तथा पैकिट पर भी फिनोफ्थलीन पावडर लगवाकर एक सफेद रंग के कैरी बैग में रखवा कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। इसके बाद श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी को अलमारी में वापस रखवाई गई तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर निकलवा कर सोडियम कार्बोनेट को साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी राहुल सिंघी व गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि संदिग्ध उक्त पॉउडर लगे नोटों या पैकिट को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल सिंघी को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद यह बोले की मेरा अभी का काम तो हो गया है अब नेकष्ट कब आओगे या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मो0 नं0 9829057620 पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का यथा–सम्भव प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। तत्पश्चात श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के

सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही छोडा गया। परिवादी श्री राहुल सिंघी को रिश्वती राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर, चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई, कि संदिग्ध को रिश्वत देने के लिए परिवादी के जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट, दृष्टांत फिनोफ्थलीन पावडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्ष करवाये गये। दिनांक 05.05.2022 को समय 10:30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह, मय श्री मांगीलाल उप पुलिस अधीक्षक, मय श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री सुभाष पुलिस निरीक्षक, श्री गजानन्द उ.नि., श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री सुरेश कुमार कानि. नं. 407, श्री रिजवान कानि. नं. 167, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्री हरकेश कानि. नं. 69, श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74, श्री श्रीराम कानि. नं. 195, मय परिवादी श्री राहुल सिंघी मय स्वतंत्र गवाहान श्री ताराचंद व श्री जयशंकर मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो मोटर साईकिल मय सरकारी वाहन व चालक मय परिवादी की कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुआ। नोटों पर पावउडर लगाने वाले श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही छोडा गया। दिनांक 05.05.2022 को समय 10:32 ए.एम. पर परिवादी श्री राहुल सिंघी के मोबाइल नं. 9829000071 से संदिग्ध श्री आर.ए. गुप्ता के मोबाइल नं. 9116692286 वाटस अप कॉल करवाया गया, तो आरोपी ने परिवादी को आधे पोन घंटे के बाद एम.एन.आई.टी गेस्ट हाउस जयपुर में आने के लिए कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करके डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। समय 11:14 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह, मय श्री मांगीलाल उप पुलिस अधीक्षक, मय श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री सुभाष पुलिस निरीक्षक, श्री गजानन्द उ.नि., श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री सुरेश कुमार कानि. नं. 407, श्री रिजवान कानि. नं. 167, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्री हरकेश कानि. नं. 69, श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74, श्री श्रीराम कानि. नं. 195, मय परिवादी श्री राहुल सिंघी मय स्वतंत्र गवाहान श्री ताराचंद व श्री जयशंकर मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय दो मोटर साईकिल मय सरकारी वाहन व चालक मय परिवादी की कार के एम.एन.आई.टी. परिसर पहुंचे, जहां पर वाहनों को साईड में खडा करवाया गया, ट्रेप जाल बिछाया गया। परिवादी श्री राहुल सिंघी को संदिग्ध को रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम मय स्वतंत्र गवाह के परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहा। समय 11.18 ए.एम. पर परिवादी श्री राहुल सिंघी ने निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह मय एसीबी टीम मय गवाह श्री ताराचंद के एम.एन.आई.टी. जयपुर के गेस्ट हाउस के कमरा नम्बर 208 में पहुंचा जहां पर श्री मांगीलाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167 व स्वतंत्र गवाह श्री जयशंकर परिवादी श्री राहुल सिंघी व एक व्यक्ति मौजूद मिला। मैनें उस व्यक्ति को जिसको अपना तथा ए.सी.बी. टीम व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 65 साल निवासी सी–503, महिमा पनास, जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी कुलपति निवास, आर.टी.यू. कैम्पस रावतभाटा रोड, कोटा हाल कुलपति, राजस्थान तकनिकी विश्वविद्यालय, कोटा बताया तो आरोपी एक दम से घबरा गया। इसके बाद परिवादी श्री राहुल सिंघी ने बताया कि मैं रिश्वत राशि का पैकिट लेकर सीधा कमरा नम्बर 208 में आया जहां पर मैनें रिश्वत राशि का पैकिट श्री आर.ए. गुप्ता के हाथ में दिया जिन्होने अपने दांहिने हाथ से उक्त पैकिट लेकर बैड पर रख दिया इसके बाद जब ए.सी.बी. टीम ने दरवाजा खटखटाया तो श्री आर.ए. गुप्ता ने उक्त पैकिट को उठाकर ड्रेसिंग रूम में रख दिया है। जैसे ही ए.सीबी. टीम अन्दर आई तो मैनें डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. को दिया, जिन्होंने रिकार्डर को बन्द कर दिया था। परिवादी ने बताया कि मैनें मेरे मोबाइल में रिश्वत देते समय की वीडियो रिकार्डिंग भी की है जो मेरे मोबाइल में सेव है। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह कानि. ने वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसको चलाकर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होनी पाई गई। इसके अलावा परिवादी के मोबाइल में रिश्वत लेन देन

का वीडियो रिकार्ड होना पाया गया जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि वह इसको सुरक्षित रखे। इसके बाद श्री आर.ए. गुप्ता से पूछा तो उसके बताया कि श्री राहुल मेरे मिलने वाले है, मैनें काम के लिए इनसे रूपये लिये है। इसके बाद श्री आर.ए गुप्ता के दांहिने हाथ को कलाई के उपर से श्री रिजवान अहमद कानि. तथा बायें हाथ को कलाई के उपर से श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से पकडवाया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर मय टीम के कमरा नं. 208 में बने ड्रेसिंग रूम में गया, जहां पर एक बैग के उपर एक कुर्ते के उपर एक सफेद कागज का पैकिट नजर आया जिसको स्वतंत्र गवाह श्री जयशंकर पारीक से उठवाकर सुरक्षार्थ को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। इसके बाद आरोपी श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता के दांहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर दोनों शीशीयों पर मार्क कमशः RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। इसके बाद आरोपी श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गद्मैला सा हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों कमशः मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद जिस कुर्ता पर से रिश्वत राशि बरामद हुई थी उस कुर्ता के उस स्थान पर जहां पैकिट रखा था, उस स्थान को एक रूई के फोये से रगड कर फोये को उक्त मिश्रण में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क कमशः KW-1 व KW-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। जिस रूई के फाये से कुर्ता पर रगड कर धोवन लिया गया था, उसको सुखाकर एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर, थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्का C अंकित कर थैली को सीलमोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद जिस कुर्ते पर रिश्वत राशि बरामद हुई थी उस स्थान को मार्कर से मार्क कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर, कुर्ते को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का K अंकित कर उक्त पैकिट को सीलमोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद रिश्वत राशि के पैकिट जिसको सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री जयशंकर के पास रखवाया था उसको खुलवाया गया तो उसमें पांच पांच सौ रूपये के चार पैकिट कुल 400 नोट व दो–दो हजार रूपये के दो पैकिट कुल 150 नोट होना पाये गये, इसके बाद उक्त नोटों के नम्बर का मिलान फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुसार होना पाये गये। उक्त राशि पांच पांच सौ रूपये के 04 पैकिट तथा दो–दो हजार रूपये के दो पैकिट कुल 06 पैकिट कुल राशि पांच लाख पर पृथक पृथक सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर पैकिटों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर कमरे की तलाशी आरम्भ की गई तो कमरे से अटेच ड्रेसिंग रूम में फर्श पर रखे दो ट्रोली बैग मिले, जिनकी तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई गई तो पहले ट्रोली बैग में पांच पांच सौ के 60 नोट कुल 30 हजार रूपये तथा एक पीले रंग के लिफाफे में दो दो हजार के 30 नोट कुल 60 हजार रूपये मिले। इस प्रकार पहले ट्रोली बैग में कुल 90 हजार रूपये मिले। दूसरे ट्रोली बैग में पांच पांच सौ रूपये की 14 गड्डियां राशि 07 लाख रूपये, दो दो हजार के 150 नोट राशि 03 लाख रूपये एवं एक काले रंग की थैली के अन्दर रखी सफेद थैली में पांच पांच सौ रूपये की 20 गड्डियां राशि 10 लाख रूपये मिले। इस प्रकार कुल 20 लाख रूपये मिले। इस तरह दोनों ट्रोली बैग में कुल 20 लाख 90 हजार रूपये की राशि मिली। उक्त राशि के बारे में पूछने पर आरोपी श्री राम अवतार गुप्ता ने गवाहान

के समक्ष बताया कि मैं दिनांक 01.05.2022 को दोपहर में इस गेस्ट हाउस में आया था। दिनांक 03.05.2022 को करीब 11.30 ए.एम. के आस पास आर्य कॉलेज, कूकस का मालिक श्री अरविन्द अग्रवाल मेरे पास आया था जिसने मुझे 10 लाख रूपये दिये थे। कल दिनांक 04.05.2022 को मैं पोद्दार कॉलेज मानसरोवर, जयपुर में गया था वहां पर मुझे श्री आनन्द पोद्दार ने 07 लाख रूपये दिये थे। आज सुबह करीब 08:30 बजे के आस पास तिरूपति कॉलेज का मालिक श्री अमित गोयल मेरे पास आया था जिसने मुझे 03 लाख रूपये दिये थे। यह रूपये मैनें उधार लिये थे। आरोपी श्री राम अवतार गुप्ता का उक्त राशि के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है। उक्त राशि आरोपी के द्वारा संबंधित कॉलेजों से रिश्वत के रूप में प्राप्त की गई है। अतः उक्त 20 लाख 90 हजार रूपये को संदिग्ध पाया जाने पर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके अलावा एक लूज पेपर की पत्रावली मिली। उक्त पत्रावली में विभिन्न कॉलेजों की लिस्ट व पंजीयन किये गये छात्रों की लिस्ट है। अतः पत्रावली पर पेज संख्या 01 से 110 तक अंकित कर प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी प्रोफेसर श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 65 साल निवासी सी–503, महिमा पनास, जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी कुलपति निवास, आर.टी.यू. कैम्पस रावतभाटा रोड, कोटा हाल कुलपति, राजस्थान तकनिकी विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा परिवादी श्री राहुल सिंघी के कालेजेज को बिना परेशानी के चलाने की ऐवज में दिनांक 04.05.2022 को 10 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की गई। उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 05.05.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी से 05 लाख रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी प्रोफेसर श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता को उसके जुर्म से आगाह कर उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 7 भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी कानि.श्री राजेन्द्र सिंह 519 से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेंट के जेब में एक भूरे रंग का पर्स मिला जिसमें 13,260 रूपये नगद, आरोपी का कुलपति राजस्थान तकनिकी विश्वविधालय, कोटा का पहचान पत्र, आरोपी का ड्राईवर लाईसेंस, आरोपी का एच.डी.एफ.सी. बैक का एक डेबिट और एक केडिट कॉर्ड, आरोपी के नाम के दो प्रायोरिटी कार्ड, आरोपी का एच.डी.एफ.सी.बैक का वीजा कार्ड, आरोपी की पत्नि श्रीमति मधु गुप्ता का आधार कार्ड मिले। उपरोक्त समस्त सामान को सुरक्षार्थ कब्जा ए.सी.बी लिया गया। इसके अलावा आरोपी के पास से दो मोबाईल फोन मिले जिसमें एक मोबाईल फोन रैडमी 5 ए कम्पनी का बरंग सफेद आई.एम.ई.आई. नम्बर 867159032173219 एवं 867159034173217 है जिसमें एक सिम मोबाईल नम्बर 9116692286 एयरटेल कम्पनी की लगी हुई है। दूसरा मोबाईल आईफोन कम्पनी का 12 प्रो मॉडल नम्बर एम. जी. एम. एन. 3 एच.एन. /ए बरंग काला, आई. एम. ई. आई. नम्बर 358611744728264 एवं 358611744608748 है, जिसमें एक सिम मोबाईल नम्बर 9414052862 जी.ओ. कम्पनी लगी हुई है। उपरोक्त दोनों मोबाईल में आरोपी की अन्य संदिग्ध व्यक्तियो से हुये वाट्सअप कॉल एवं मैसेज मौजूद है। मोबाईल आई फोन में अरविन्द जी आर्या कॉलेज 9829058655 के नाम से सेव किया हुआ है। उक्त नम्बर पर दिनांक 24.04.2022 एवं 03.05.2022 को वाट्सअप कॉल की गई है। इसी फोन से आनन्द पोद्दार के नम्बर 9829798023 सेव है जिस पर दिनांक 23,24,25 एवं 30 अप्रेल 2022, 03 व 04.05.2022 को वाट्सअप कॉल की गई है। इसके अलावा इसी फोन से अमित गोयल, चेयरमैन तिरूपति कॉलेज 9829069633 के नाम से सेव किया हुआ है। उक्त नम्बर पर दिनांक 27.04.2022 को वाट्सअप कॉल एवं दिनांक 04.05.2022 को वाट्सअप मिस कॉल की गई है। मोबाईल रैडमी 5 ए में अरविन्द जी आर्या कॉलेज 9829058655 के नाम से सेव किया हुआ है। उक्त नम्बर पर दिनांक 23,24 एवं 30 अप्रेल 2022 एवं 01 व 03 मई 2022 को वाट्सअप कॉल की गई है। इसी फोन से आनन्द पोद्दार के नम्बर 9829798023 सेव है जिस पर दिनांक 18,22 अप्रेल 2022 को वाट्सअप कॉल की गई है एवं दिनांक 25 व 30 अप्रेल 2022 को वाट्सअप कॉल की गई है जो नो रिप्लाई रही है। इसी फोन पर अरविन्द जी आर्या कॉलेज के नम्बर से दिनांक 07.10.2021 को वाट्सअप मैसेज आया हुआ है जिसमें Respected sir Aapane hamara dhyan nahin rakha despite promising लिखा हुआ है। अतः उपरोक्त दोनों मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का MOB अंकित कर सील मोहर कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके अलावा कोई वस्तु नही मिली। इस कार्यवाही

की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व श्री महिपाल जडेजा पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जडेजा, उम्र 31 साल, जाति राजपूत, निवासी–मकान नम्बर 11/4, पन्ना आचार्य भवन, एम.एन. आई.टी,जयपुर के समक्ष एम.एन.आई.टी. मालवीय नगर, जयपुर के वी.आई.पी. गेस्ट हाउस (इद्र घनुष) के प्रवेश द्वार के अन्दर बने स्वागत कक्ष में गेस्ट हाउस (इद्र घनुष) में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरो के ऑपरेटिंग की डी.वी.आर. HIKVISION कम्पनी की बरंग लाईट ग्रे को चैक किया तो दिनांक 29.03.2022 समय 01:44 पी.एम. से दिनांक 05.05.2022 समय 12:16 पी.एम. तक की रिकॉर्डिग है। उक्त रिकॉर्डिग को चैक किया गया तो उसमें उक्त गेस्ट हाउस में आने–जाने व कमरा नम्बर 208 में आने–जाने वाले व्यक्तियो की रिकॉर्डिग मौजूद है। अतः उक्त HIKVISION कम्पनी की डी.वी.आर. को उक्त प्रकरण में बतौर वजह सबूत जप्त कर डी.वी.आर. पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। डी.वी.आर में उक्त गेस्ट हाउस में आने–जाने व कमरा नम्बर 208 में आने–जाने वाले व्यक्तियो की रिकॉर्डिग को देखकर आने जाने वालों की पहचान हेतु उक्त डी.वी.आर को खुला रखा गया। जिसकी फर्द जप्ति पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ए.सी.बी. टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री आर.ए.गुप्ता मय शिल्डशुदा आर्टिकल्स के कमरा नम्बर 208, गेस्ट हाउस, एम.एन.आई.टी. जयपुर से ब्यूरो मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। कमरे को दुरूस्त हालत श्री पारसमल पुत्र श्री दूदाराम जाति मेधवाल उम्र 61 साल निवासी सिंगला तहसील रायपुर जिला पाली हाल केयर टेकर, गेस्ट हाउस, एम.एन.आई.टी. जयपुर को सुपुर्द किया गया। श्री आर.ए. गुप्ता का शेष सामान भी श्री पारसमल को सुपुर्द किया गया।

दिनांक 06.05.2022 को मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री राहुल सिंघी की रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 04.05.2022 को आरोपी श्री आर.ए.गुप्ता के मध्य आमने–सामने एवं मोबाईल पर वाटस अप पर हुई वार्तायें, जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ता एक मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। इसके अलावा परिवादी श्री राहुल सिंघी के द्वारा दिनांक 04.05.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय आरोपी से मिलने के दौरान अपने मोबाइल से विडियों बनाया था, जो उसकी आई.डी. क्लाउड पर सेव है। श्री राहुल सिंघी ने लेपटॉप पर अपनी क्लाउड आई.डी. से दिनांक 04.05.2022 के उक्त वीडियों को डाउनलोड किया। उक्त वीडियों एवं मेमोरी कार्ड में रिकार्ड दिनांक 04.05.2022 को आरोपी श्री आर.ए.गुप्ता के मध्य आमने–सामने एवं मोबाईल पर वाटस अप पर हुई वार्ताओं की दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री राहुल सिंघी की मौजूदगी में वार्ताओं की डी.वी.डी. बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डी. मंगवायी जाकर तीनों डी.वी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ताओं एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत विडियों को तीनों डी.वी.डी. में बर्न किया गया। तीनों डी.वी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो तीनों में उक्त वार्तायें एवं वीडियों रिकार्ड होना पाया गया। इसके पश्चात तीनों डी.वी.डी. पर क्रमशः मार्का "A", "A–1" व "A–2" अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसी प्रकार दिनांक 05.05.2022 को रिश्वत लेद देन के समय परिवादी श्री राहुल सिंघी की आरोपी श्री आर.ए.गुप्ता के मध्य आमने–सामने एवं मोबाईल पर वाटस अप हुई वार्तायें, जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ता एक मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। इसके अलावा परिवादी श्री राहुल सिंघी के द्वारा दिनांक 05.05.2022 को वक्त रिश्वत लेन देन के समय आरोपी से मिलने के दौरान अपने मोबाइल से विडियों बनाया था, जो उसकी आई.डी. क्लाउड पर सेव है। श्री राहुल सिंघी ने लेपटॉप पर अपनी क्लाउड आई.डी. से दिनांक 05.05.2022 के उक्त वीडियों को डाउनलोड किया। उक्त वीडियों एवं मेमोरी कार्ड में रिकार्ड दिनांक 05.05.2022 को रिश्वत लेन देन के समय आरोपी श्री आर.ए.गुप्ता के मध्य आमने–सामने एवं मोबाईल पर वाटस अप पर हुई वार्ताओं की दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री राहुल सिंघी की मौजूदगी में वार्ताओं की डी.वी.डी. बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डी. मंगवायी जाकर तीनों डी.वी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ताओं एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत वीडियों को तीनों डी.वी.डी. में बर्न किया गया। तीनों डी.वी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना

गया तो तीनों में उक्त वार्तायें एवं वीडियों रिकार्ड होना पाया गया। इसके पश्चात तीनों डी.वी.डी. पर क्रमशः मार्का "B", "B–1" व "B–2" अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.05.2022 से संबंधित मेमोरी कॉर्ड में दर्ज वार्ताओ को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप में चलाकर सुना जाकर वार्ता रूपांतरण से शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता, वार्ता रूपांतरण के अनुसार होनी पाई गई। उक्त वार्ताओं में अपनी तथा आरोपी श्री आर.ए. गुप्ता की आवाज की पहचान परिवादी श्री राहुल सिंघी के द्वारा की गई। इसके पश्चात डी.वी.डी. मार्का " A" व डी.वी.डी. मार्का " A–1" को दो पृथक पृथक डी.वी.डी. कवर मे रखकर, दो पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमशः मार्का "A", " A–1" अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मार्का "A–2" डी.वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया।

इसके पश्चात रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 05.05.2022 से संबंधित मेमोरी कॉर्ड में दर्ज वार्ताओ को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप में चलाकर सुना जाकर वार्ता रूपांतरण से शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता, वार्ता रूपांतरण के अनुसार होनी पाई गई। उक्त वार्ताओं में अपनी तथा आरोपी श्री आर.ए. गुप्ता की आवाज की पहचान परिवादी श्री राहुल सिंघी के द्वारा की गई। इसके पश्चात डी.वी.डी. मार्का " B" व डी.वी.डी. मार्का "B–1" को दो पृथक पृथक डी.वी.डी. कवर मे रखकर, दो पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमशः मार्का "B", " B–1" अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। मार्का "B–2" डी.वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया।

इसके पश्चात मेमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 04.05.2022 की वार्तायें रिकार्ड है उसके उपर 04/05 एवं मेमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत लेन देन के समय दिनांक 05.05.2022 की वार्तायें रिकार्ड है उसके उपर 05/05 मार्कर से अंकित कर, दोनों मेमोरी कार्ड को एक सफेद प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का " D" अंकित कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को सील मोहर कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी प्रोफेसर श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 65 साल निवासी सी–503, महिमा पनास, जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी कुलपति निवास, आर.टी.यू. कैम्पस रावतभाटा रोड, कोटा हाल कुलपति, राजस्थान तकनिकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं अन्य के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी प्रोफेसर श्री राम अवतार गुप्ता उर्फ आर.ए. गुप्ता एवं अन्य के विरूद्व अन्तर्गत धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है।

(पुष्पेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
एस.यू. द्वितीय, जयपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल यूनिट, द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता उर्फ श्री आर.ए.गुप्ता, कुलपति राजस्थान तकनीकि विश्वविद्यालय, कोटा एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 168/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6/5/2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1497-1501 दिनांक 6.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।